संख्या-221/2016/2164/71-1-2016-जी-164/2007

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 27 दिसम्बर, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मेडिकल कालेज, कानपुर में श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-4 के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-4 के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 12-11-2010 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत रू0 1173.98 लाख आंकलित की गयी थी। इसी मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-2632/71-1-2010-जी-164/2007, दिनॉक 11-01-2011 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त मूल लागत रू0 1173.98 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल 1150.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1.	4023/71-1-08-जी-164/2007, दिनॉक 19-02-2008	704.15
2.	4023/71-1-08-जी-164/2007, दिनॉक 28-03-2008	34.82
3.	2632/71-1-10-जी-164/2007, दिनॉक 11-01-2011	220.55
4.	719/71-1-11-जी-164/2007, दिनॉक 18-04-2011	26.63
5	2822/71-1-12-जी-164/2007, दिनॉक 06-11-2012	163.95
	योग-	1150.10

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/411, दिनॉक 12-08-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-4 के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 14,17,38,000/- (रू0 चौदह करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/महानिदेशक की होगी।
4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5- वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-16 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- भारत सरकार के नोटीफिकेशन संख्या-9/2016 सर्विस टैक्स दिनॉक 01 मार्च, 2016 के अनुसार दिनॉक 01-03-2015 से पूर्व के स्वीकृत कार्य चाहे इन कार्यो की लागत पुनरीक्षित की गयी है तथा 01 मार्च 2015 के उपरान्त धनराशि प्राप्त हुई हो, पर सर्विस टैक्स की देयता नहीं है अत: प्रश्नगत प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स को अनुमन्य नहीं किया गया है

8- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित ट्रान्सफार्मर की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है, अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर करे।

9- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा।

10- आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

11- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्यमदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित कराए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

12- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1697/दस-2016, दिनॉक 16 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 221/2016/2164(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।